संख्याः– /XXVII(1)/06–07

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव, (वित्त),
उत्तराखण्ड शासन।

सेंवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनः: दिनांकः 20 :मार्च, 2007

विषयः– 12वॉ वित्त आयोग की संस्तुति पर वर्ष 2006–07 के लिए समस्त क्षेत्र पंचायतों को संक्रमित धनराशि का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1659 सी/XXVII(1)/2006 दिनांक 09 नवम्बर,2006 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिसके द्वारा रू0 48600000.00 (रू0 चार करोड़ छियासी लाख मात्र) की धनराशि समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2-(4) ''क्षेत्र पंचायतों को सक्रंमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा तैयार किए जायेगें तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा'' के स्थान पर ''सक्रंमित की जा रही धनराशि का बिल जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा और जिलाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराकर कोषागार से धनराशि आहरित कर सम्बंधित विकास खण्ड को तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।'' पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगीं।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव,वित्त।

संख्याः–233 (1)/XXVII(1)/06–07, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमॉऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– समस्त जिला पंचायत राज, अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

28/3/2007

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव,वित्त

C:\sansodhan GO.doc